

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहैडा जिला चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या : 35 / 2022

निर्णय दिनांक 25 / 2022

श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पिता प्यारा जी भांबी निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा -प्रार्थी
// बनाम //

1. गोपाल पिता प्यारा जी भांबी उम्र 55 साल निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा
2. शंकर पिता दोला जी धाकड उम्र वयस्क निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा
3. प्रभूलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा
4. प्रवीण सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा
5. कान सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा
6. बहादुर सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा
7. हिम्मत सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी कचरीया खेडी तहसील निम्बाहैडा —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा10ले0रे0एक्ट


आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कचरीयाखेडी पटवार हल्का ढोरीया तहसील निम्बाहैडा मे स्थित आराजी नं0 148 रकबा 2.7900 हैक्टैयर लगानी 13 रु0 95 पैस की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भुमी के पडौसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भुमी के खातेदार काश्तकार है जिन्हे अपनी खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार निम्बाहैडा को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सुचना देते हुऐ मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति मे ,किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजाकचरीयाखेडी पटवार हल्का ढोरीया तहसील निम्बाहैडा मे स्थित आराजी नं0 148 रकबा 2.7900 हैक्टैयर लगानी 13 रु0 95 पैसे की कीसी भी पक्ष के कब्जे मे दखल दिये बगैर पत्थरगढी करें । पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस मे इस न्यायालय मे पेश करे

आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया ।




(चन्द्रशेखर मंडारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहैडा (चित्तौड़गढ़)
निम्बाहैडा